आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 1018/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
एक्सिस बैंक लिमिटेड, स्टेशन रोड़, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स सत्य नारायण काकड़ेवाला जरिये भागीदार श्री अशोक कुमार अग्रवाल, श्रीमती इंदु देवी अग्रवाल,
पताः— दुकान नं. 258, चांदपोल बाजार, जयपुर।
2. श्री अशोक कुमार अग्रवाल,
पताः— 37, सुदामा नगर, ग्लास फेक्ट्री के सामने, टोंक रोड़, दुर्गापुरा, जयपुर।
3. स्व. श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल जरिये विधिक वारिसान,
   A. श्रीमती प्रेम देवी,
   पताः— 9, कल्याण कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।
   B. शशिकान्ता,
   पताः—2367, खजाने वालो का रास्ता, चांदपोल बाजार, जयपुर।
   C. अनिता बिन्दल,
   पताः— 1011, अचार वालों की गली, जौहरी बाजार, गोपाल जी का रास्ता, जयपुर।
   D. विनीता अग्रवाल,
   पताः— 1—जी—18, जवाहर नगर, जयपुर।
   E. राजेन्द्र कुमार अग्रवाल,
   पताः— 9, कल्याण कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।
   F. योगेश कुमार अग्रवाल,
   पताः— 9, कल्याण कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।
4. श्रीमती इन्दु देवी अग्रवाल,
पताः— 37, सुदामा नगर, ग्लास फेक्ट्री के सामने, टोंक रोड़, दुर्गापुरा, जयपुर।
5. श्रीमती प्रेम देवी,
पताः— 9, कल्याण कॉलोनी, टोंक फाटक, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :— श्री पुष्पराज सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 30.01.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को पुनमुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी 1. श्रीमती इंदु देवी अग्रवाल के स्वामित्त्व की संपत्ति प्लॉट नं. 37 का दक्षिणी हिस्सा, सुदामा नगर, दिल्ली वालों की कोठी, मानसिंहपुरा, टोंक रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 275.55 वर्गगज एवं 2.स्व. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की संपत्ति दुकान नं. 258, चांदपोल बाजार, ,चौकड़ी तोपखानादेश, जयपुर, क्षेत्रफल 46.945 वर्गमीटर को बन्धक रख कर खाता संख्या 91903000714975 में राशि 06,00,00,000/— रूपये, खाता संख्या 921060057355409 में राशि 61,04,000/— रूपये, खाता संख्या 920060045454528 में राशि 01,19,00,000/— रूपये कुल राशि 07,80,04,000/— रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 19.05.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजो का भलीभाति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 07,80,04,000/—रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 07,49,29,564.95/— रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 19.05.2023 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा कर दिया गया है, तत्पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी 1. श्रीमती इंदु देवी अग्रवाल के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति प्लॉट नं. 37 का दक्षिणी हिस्सा, सुदामा नगर, दिल्ली वालों की कोठी, मानसिंहपुरा, टोंक रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 275.55 वर्गगज एवं 2.स्व. श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल जरिये विधिक वारिसान के स्वामित्त्व की बंधक संपत्ति दुकान नं. 258, चांदपोल बाजार, ,चौकड़ी तोपखानादेश, जयपुर, क्षेत्रफल 46.945 वर्गमीटर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

6. आदेश आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner